संख्या-01/2019/47/58-2-2019-300(7)/2018

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2019**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन की योजना हेतु अनुपूरक बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0-0.13 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-145/बजट/2018-19 दिनांक 15.11.2018 एवं पत्र सं0-188/बजट/ 2018-19 दिनांक 10.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का कार्यान्वयन की योजना हेतु अनुपूरक बजट में व्यवस्थित धनराशि रू0-0.13 लाख (रूपया तेरह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित मदवार/विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्ययक में प्राविधान	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017**		
	04-यात्रा व्यय	**0.01**	**0.01**
	08-कार्यालय व्यय	**0.01**	**0.01**
	09-विद्युत देय	**0.01**	**0.01**
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	**0.01**	**0.01**
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.01**	**0.01**
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	**0.01**	**0.01**
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	**0.01**	**0.01**
	18-प्रकाशन	**0.01**	**0.01**
	27-सब्सिडी	**0.01**	**0.01**
	42-अन्य व्यय	**0.01**	**0.01**
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**0.01**	**0.01**
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**0.01**	**0.01**
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**0.01**	**0.01**
	योग-	**0.13**	**0.13**

(रूपया तेरह हजार मात्र)

1-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2-अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3-भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4-उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5-व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6-उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

7-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्थिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

8-यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-01/2019/47(1)/58-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in